कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला–मुरैना (म0प्र0)

दूरभाष : (कार्या.) 07532–223500, (नि.) : 223400, (फैक्स) : 226500, ई–मेल : dmmorena@nic.in, deomorena@gmail.com

क्रमांक / स्टेनो / ए.डी.एम. / का.व्य. / धारा 144 / 2020 / 3816 मुरैना, दिनांक 22.03.2020

–:: प्रतिबंधात्मक आदेश ::–

(अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता 1973)

नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) बीमारी के प्रसार एवं बचाव के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के कम में संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक / आईडीएसपी / 2020 / 193, दिनांक 07.03.2020 द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) बीमारी के संक्रमण से बचने के लिए सामूहिकता कम करने, सार्वजनिक समारोह जुलूस, सामूहिक भोजन कार्यकम आदि पर प्रतिबंध लगाये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

उक्त के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुरैना एवं संबंधित अधिकारियों तथा विषय विशेषज्ञों के साथ समीक्षा बैठक में प्रस्तुत निदानात्मक तथ्यों से मुझे संतुष्टि होती है कि मुरैना जिले में नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) बीमारी के संक्रमण से बचने के लिए दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाना नितान्त आवश्यक है।

चूंकि आमजन के स्वास्थ्य एवं लोक हितों को दृष्टिगत रखते हुए तथा जनसामान्य की सुरक्षा, सामुदायिक एवं धार्मिक सद्भावना तथा लोक परिशांति बनाये रखने के लिए तत्काल रूप से प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है। ऐंसी स्थिति में सभी प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिशः सूचना देकर सुना जाना संभव नही है। अतः यह आदेश दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों के अन्तर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है।

2. अतएव ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए पर्याप्त आधार हैं कि उक्त परिस्थितियों के निवारणार्थ एवं उपचारार्थ धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता के प्रावधानान्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निषेधात्मक आदेश प्रसारित किये जावें।

3. अतः मैं प्रियंका दास, जिला दण्डाधिकारी, जिला मुरैना, मुरैना जिले की सीमाओं के भीतर आगामी त्यौहार विभिन्न धर्म के धार्मिक एवं सामाजिक जुलूसों में आमजन के स्वास्थ्य एवं लोक हितों को दृष्टिगत रखते हुए कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह प्रतिबंधित आदेश प्रसारित करती हूँ कि –

(1). प्रतिबंधित क्षेत्रान्तर्गत सभी प्रकार के सामाजिक समारोह, जुलूस, सम्मेलन, सामूहिक भोजन कार्यकम आदि, जिनमे अधिक संख्या में लोगों के एकत्रित होने की संभावना रहती है, को अन्य आदेश तक प्रतिबंधित किए जाते है।

(2) प्रतिबंधित क्षेत्र में आगामी पर्व गुडी पड़वा / चैती चांद, रामनवमी, महावीर जयंती, हनुमान जयंती आदि अन्य त्यौहारों में जुलूस, चल समारोह आदि जिसमें अधिक संख्या में आमजन एकत्रित होगें। वर्तमान परिवेश में नोवेल कोरोना वायरस

Pd

(COVID-19) बीमारी के चलते लोगों के स्वास्थ्य एवं जान–माल को हानि पहुँचा सकते हैं। अतः इस प्रकार की समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

(3) प्रतिबंधित क्षेत्र में समस्त होटलों, लॉज, धर्मशालाओं के मालिकों/प्रबंधकों को उनके यहाँ ठहरने वाले यात्रियों/मुसाफिरों के संबंध में सम्पूर्ण विवरण व आवश्यक जानकारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी एवं जिला चिकित्सालय को देना अनिवार्य होगी। आगामी प्रतिबंधित दिवसों में किसी भी यात्री को ठहराना भी प्रतिबंधित होगा।

(4) प्रतिबंधित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थलों जैसे–रेल्वे स्टेशन, बस–स्टेण्ड, बाग–बगीचों, ताल–तलैया, पर्यटन स्थल इत्यादि में अधिक मात्रा में एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।

(5) प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, सम्प्रदाय, समूह आदि संबंधित कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की पूर्व वैधानिक अनुमति प्राप्त किए बगैर किसी भी स्थान पर जुलूस, मौन जुलूस, रैली, आमसभा, सामूहिक सम्मेलन इत्यादि, जिसमें आमजन के एकत्रित होने की संभावना रहती है, का आयोजन नहीं कर सकेगा।

(6) यह आदेश जारी होने के पूर्व समय–समय पर कार्यपालिक दण्डाधिकारियों द्वारा उक्तानुसार प्रतिबंधित आयोजनों के संबंध में प्रदाय की गई अनुमतियाँ एतद् द्वारा निरस्त की जाती है। विशेष परिस्थिति में अनुमति हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आवश्यकता होने पर पूर्णरूपेण संतुष्टि उपरान्त आयोजन की अनुमति देने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगें।

(7) म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र कमांक/36/प्र.स./स्वा./सत्रह/मेडि–तीन, दिनांक 15.03.2020 में प्रदत्त निर्देशों के बिन्दु कमांक 03 अनुसार सार्वजनिक पुस्तकालयों, वाटरपार्क, जिम तथा स्वीमिंग पूल्स 31 मार्च, 2020 तक बंद रहेगें तथा बिन्दु कमांक 08 अनुसार 20 से अधिक लोगों की सभाओं के आयोजन प्रतिबंधित रहेगें।

(8) प्रतिबंधित क्षेत्र में फल, सब्जी, किराना, दूध एवं दवाईयों तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली सामग्री को छोड़कर अन्य समस्त दुकानें/कारोबार (व्यावसायिक प्रतिष्ठान) दिनांक 31.03.2020 तक पूर्णतः बंद रहेगें।

(9) धारा 144 के लागू रहने के दौरान समस्त उद्योग/फैक्टरीज/कारखाने आदि भी बंद रहेगें।

(10) प्रतिबंधित अवधि में बस सेवाऐं भी पूर्णतः बंद रहेगी।

(11) ई–रिक्शा में भी प्रतिबंधित अवधि में 01 से अधिक सवारी नहीं ले जा सकेगें।

(12) कोरोना वायरस के संबंध में भ्रामक व तथ्यहीन प्रचार करना प्रतिबंधित रहेगा तथा ऐसा करने वालों पर विधिसंगत कार्यवाही की जावेगी।

(13) पूर्व में प्रसारित आदेशों का पालन यथावत् जारी रहेगा।

यह आदेश मुरैना जिले में निवासरत प्रत्येक नागरिक को सम्यक् रूप से व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं है। अतः सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं समाचार–पत्रों के माध्यम से सर्व–साधारण को अवगत कराया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन मुरैना अपने–अपने विभागीय माध्यमों से उक्त आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें। सहायक संचालक, जनसम्पर्क

विभाग मुरैना सभी समाचार–पत्रों एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में निःशुल्क प्रकाशन और प्रसारण कराया जाना सुनिश्चित करें।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर दिनांक 22.03.2020 से जारी होकर दिनांक 31.03.2020 तक लागू रहेगा।

आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश आज दिनांक 22 मार्च, 2020 को दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से पारित किया गया।

(प्रियंका दास)
जिला दण्डाधिकारी,
जिला मुरैना (म०प्र०)

पृ.कमांक / स्टेनो / ए.डी.एम. / का.व्य. / धारा 144 / 2020 / 5816 मुरैना, दिनांक 22.03.2020
प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना की ओर सूचनार्थ।
5. पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल जोन।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया समस्त एस.डी.ओ.पी. एवं थाना प्रभारियों को आदेश पालन हेतु निर्देशित करें।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मुरैना।
8. अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला मुरैना।
9. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुरैना।
10. आयुक्त, नगरपालिक निगम, मुरैना।
11. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, मुरैना / अम्बाह / जौरा / सबलगढ़।
12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन, मुरैना।
13. जिला शिक्षा अधिकारी, मुरैना।
14. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट.............................।
15. नगर पुलिस अधीक्षक, मुरैना।
16. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस).............................।
17. समस्त थाना प्रभारी, थाना.............................।
18. सहायक संचालक, जनसंपर्क विभाग, मुरैना की ओर दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
19. ....।

जिला दण्डाधिकारी,
जिला मुरैना (म०प्र०)

जिला दण्डाधिकारी
जिला–मुरैना (म०प्र०)

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला मुरैना (म.प्र.)

क्रमांक / स्टेनो / ए.डी.एम. / को.वाय. / 2020 / 3817 मुरैना,दिनांक 22.03.2020

आदेश

म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक / प्र.स. / स्वा. / सत्रह / मेड़ि–तीन / 723, भोपाल दिनांक 21.03.2020 से नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के नियंत्रण एवं बचाव हेतु मार्गदर्शी दिशा–निर्देश :– जिले में धार्मिक, पारंपरिक, सामाजिक, साहित्यिक, खेलकूद एवं सांस्कृतिक आयोजनों से संबंधित गतिविधियों के सुनियोजित विनियम के संबंध में निर्देश प्राप्त हुए है।

अतः उक्त निर्देश के परिपालन में जिले में लोक स्वास्थ्य एवं लोकहित में नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) व उससे जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु तथा जिलों में धार्मिक, पारंपरिक, सामाजिक, साहित्यिक वं सांस्कृतिक आयोजनों में एक स्थान पर नागरिकों के समूह में एकत्रित होने के फलस्वरूप उक्त बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम करने के उद्देश्य से वर्तमान में परिस्थितियों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार दिशा–निर्देश प्रसारित किए जाते है :–

1. भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा Social Distancing के संबंध में नवीन दिशा–निर्देश प्रसारित किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों में विशिष्ट रूप से प्रावधानित है कि सभी प्रकार के धार्मिक, पारंपरिक, समाजिक, साहित्यिक, खेलकूद एवं सांस्कृतिक आयोजनों से संबंधित गतिविधियों / कार्यक्रमों को आगामी आदेश तक स्थगित रखा जावें एवं अत्यन्त छोटे समूहों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में Social Distancing मापदण्डों का परिपालन करते हुए प्रत्येक 02 व्यक्तियों के मध्य न्यूनतम 01 मीटर की दूरी रखी जाना सुनिश्चित किया जायें।
2. माह मार्च एवं अप्रैल में विभिन्न त्यौहारों, जयंतियों / पुण्यतिथियों के अवसर पर प्रतिवर्ष छोटे एवं बड़े स्तर पर विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक समारोहों का आयोजन किया जाता है, इस हेतु जिला स्तरीय एवं तहसील स्तर पर शांति समिति की बैठक आयोजित कर जिले के धर्मगुरूओं, जनप्रतिनिधियों, प्रतिष्ठित समाजसेवियों एवं गणमान्य नागरिकों से चर्चा कर आगामी दिवसों में संभावित बड़े धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों को स्थगित रखे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।
3. खेलकूद से संबंधित प्रतियोगिताओं का आयोजन भी स्थगित रखा जावें।
4. जिले में विभिन्न माध्यमों से प्रचार–प्रसार कर विशेष रूप से 10 वर्ष अथवा उससे कम उम्र के बच्चों एवं सभी वरिष्ठ नागरिकों (जनप्रतिनिधियों, शासकीय सेवकों एवं अत्यावश्यक सेवाओं हेतु कर्त्तव्यस्थ कर्मियों को छोड़कर) को स्वास्थ्य एवं अत्यावश्यक कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य के लिए समूह में एकत्र न होने तथा अपने–अपने घरों में रहने संबंधी निर्देश दिए जावें।
5. यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा जारी आदेशों / निर्देशों का उल्लघन किया जाता है अथवा आदेशों / निर्देशों का परिपालन करने में असहयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में महामारी अधिनियम, 1897, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य अधिनियम, 1949(यथा

संशोधित अधिसूचित दिनांक 07 मार्च, 2020), मध्यप्रदेश पब्लिक लोक स्वास्थ्य नियम–1973 (यथा–संशोधित), आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 तथा भारतीय दण्ड संहिता–1860 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता–1973 (यथा–संशोधित) के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत लोकहित एवं लोक स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

उपरोक्त दिशा–निर्देशों से सर्व संबंधितों को तत्काल अवगत कराते हुए इनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावें।

उक्त दिशा–निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(प्रियंका दास)
कलेक्टर,
जिला मुरैना म.प्र.

पृ.क्रमांक / स्टेनो / ए.डी.एम. / को.वाय. / 2020 / 3817 मुरैना, दिनांक 22.03.2020

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना।
4. महानिरीक्षक पुलिस, चम्बल जोन, ग्वालियर।
5. उप पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल जोन, मुरैना।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला मुरैना।
7. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल मुरैना।
8. अपर जिला दण्डाधिकारी, मुरैना।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन, मुरैना।
10. आयुक्त, नगरपालिक निगम / पी.ओ. डूडा, मुरैना।
11. समस्त एस.डी.एम. / एस.डी.ओ.पी. .... जिला मुरैना।
12. जिला शिक्षा अधिकारी, मुरैना।
13. समस्त विभाग प्रमुख .... जिला मुरैना की ओर पालनार्थ।
14. समस्त तहसीलदार / थाना प्रभारी / सी.ई.ओ. जनपद पंचायत / सीएमओ / बीईओ / बीएम.ओ. / ....की ओर पालनार्थ।
15. उप संचालक, जनसम्पर्क विभाग, मुरैना की ओर प्रचार–प्रसार हेतु।
16. ....की ओर पालनार्थ।

कलेक्टर,
जिला मुरैना म.प्र.

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला मुरैना (म.प्र.)

कमांक/स्टेनो/ए.डी.एम./को.वाय./2020/3018 मुरैना,दिनांक 23.03.2020

आदेश

म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र कमांक–38बी/ए.सी.एस./जी.ए.डी./2020, दिनांक 22.03.2020 से नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) की रोकथाम के लिए आवश्यक निरोधक उपाय करने संबंधी निर्देश प्राप्त हुई है।

अतः उक्त निर्देश के परिपालन में जिले में नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) से जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु लोकहित एवं लोक स्वास्थ्य के दृष्टिगत विभागीय समसंख्यक आदेश कमांक 38 दिनांक 19 मार्च, 2020 को अधिकमित करते हुए मुरैना जिले के शासकीय कार्यालयों एवं शासकीय संस्थाओं में कार्यरत अमले को निवास से कार्य करने की अनुमति प्रदान किए जाने के संबंध में निम्नानुसार नवीन दिशा–निर्देश प्रसारित किए जाते हैः–

1. शासन के समस्त कार्यालयों एवं शासकीय संस्थाओं में कार्यरत अमले को अस्थाई रूप से दिनांक 31.03.2020 तक अपना कार्यालयीन कार्य अपने निवास स्थान से सम्पादित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
2. दिनांक 23 मार्च, 2020 से दिनांक 31 मार्च, 2020 तक उक्त अवधि समस्त प्रयोजनों के लिए कर्तव्य अवधि मान्य होगी।
3. यह आदेश उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगें अथवा उस सीमा तक लागू नहीं होगें, जो इस अवधि में अथवा इसके किसी अशंभाग के लिए किसी भी रूप में पूर्व से ही अवकाश पर है।
4. उक्त अवधि का उपयोग अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कार्यालयीन कार्य निवास से सम्पादित करने के लिए किया जावेगा।
5. किसी भी तात्कालिक आवश्यकता की स्थिति में अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके निवास से कार्यालय में शासकीय कार्य के लिए आहूत किया जा सकेगा। इस हेतु शासकीय सेवकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपना मो.नं., लैंडलाइन नम्बर एवं निवास का पता कार्यालय में तथा कार्यालय/संस्था को तत्काल प्रदान करेगें।
6. यह आदेश, जिले की किन्हीं भी अत्यावश्यक सेवाएं जैसे–स्वास्थ्य, पुलिस, पेयजल व्यवस्था, विद्युत *आपूर्ति, साफ–सफाई से जुड़ा अमला, अग्निशमन सेवाएं, दूरसंचार सेवाएं आदि पर लागू नहीं होगा।
7. यह आदेश किसी भी विभाग एवं इसके अधीनस्थ शासकीय कार्यालय/संस्थान उन अधिकारी एवं कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिनके विषय में सक्षम प्राधिकारी को इस बात का समाधान हो गया है कि किसी सवैधानिक/विधिक अनिवार्यता:, कोरोना के

संकमण से बचाव संबंधी विभागीय कार्य अथवा अन्य किसी विशिष्ट अपवादिक कार्य के लिए उक्त अधिकारी/कर्मचारियों के लिए कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिग एवं अन्य समस्त आवश्यक सावधानियाँ रखी जाना सुनिश्चित किया जावें।

8. यह आदेश तत्काल लागू होकर दिनांक 31.03.2020 तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त तिथि के बाद भी परिस्थितियों के आधार पर पुनः परीक्षण कर आगामी निर्णय लिया जावेगा।

(प्रियंका दास)
कलेक्टर,
जिला मुरैना म.प्र.

पृ.कमांक/स्टेनो/ए.डी.एम./को.वाय./2020/3818 मुरैना,दिनांक 23.03.2020

प्रतिलिपि :—

1. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना।
4. महानिरीक्षक पुलिस, चम्बल जोन, ग्वालियर।
5. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला मुरैना।
6. उप पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल जोन, मुरैना।
7. पुलिस अधीक्षक, जिला मुरैना।
8. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल मुरैना।
9. अपर जिला दण्डाधिकारी, मुरैना।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन, मुरैना।
11. आयुक्त, नगरपालिक निगम/पी.ओ. डूडा, मुरैना।
12. समस्त एस.डी.एम./एस.डी.ओ.पी. ...., जिला मुरैना।
13. जिला शिक्षा अधिकारी, मुरैना।
14. समस्त विभाग प्रमुख ...., जिला मुरैना की ओर पालनार्थ।
15. समस्त तहसीलदार/थाना प्रभारी/सी.ई.ओ. जनपद पंचायत/सीएमओ/बीईओ/बीएम.ओ./ ....की ओर पालनार्थ।
16. उप संचालक, जनसम्पर्क विभाग, मुरैना की ओर प्रचार—प्रसार हेतु।
17. ....की ओर पालनार्थ।

कलेक्टर,
जिला मुरैना म.प्र.

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला मुरैना (म.प्र.)

क्रमांक/स्टेनो/ए.डी.एम./को.वाय./2020/3823 मुरैना,दिनांक 23.03.2020

आदेश

म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक 3830/ए.सी.एस./जी.ए.डी./2020 दिनांक 22.3.2020 से नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) की रोकथाम के लिये आवश्यक निरोधक उपाय करने संबंधी निर्देश प्राप्त हुये है। इसी क्रम में बैंकिंग की आमजन को आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए बैंकिंग लेन–देन के समय में फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा और वे प्रातः 10.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक संचालित होगी।

किन्तु उक्त आपातिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए (ताकि बैंकों में आमजन का न्यूनतम जमाव हो और आपातिक स्थितियों से निपटने में मदद मिल सकें) बैंक सेवाओं एवं क्रियाकलापों को उक्त सामान्य कार्य अवधि में भी सीमित करते हुए निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते है :–

1. कैश लेन–देन।
2. क्लीयरिंग सेवा यानी चेक जमा करना।
3. निधि अंतरण जैसे RTGS और NEFT.
4. शासकीय लेन–देन।

ये 04 सेवाऐं पूर्ववत् रहेगी। इन वर्णित 04 सेवाओं के अलावा अन्य आनुषंगिक अनुपयोगी सेवाऐं बंद रखी जाये।

इसके अतिरिक्त बैंक प्रबंधकों/संचालकों/ऑर्थटीज को वर्तमान आपातिक स्थिति से निपटने के लिए निम्न निर्देशों का भी पालन सुनिश्चित करना होगा।

1. जिस व्यक्ति का बैंक में कोई कार्य नहीं है, उसका बैंक परिसर में प्रवेश वर्जित होगा।
2. मूल सेवा ग्रहिता के अतिरिक्त किसी सहायक को बैंक परिसर में प्रवेश नहीं कराया जायेगा।
3. कार्य पूर्ण होने पर तत्काल संबंधित व्यक्ति को बैंक परिसर से जाने के लिए व्यवस्था की जावेगी।
4. बैंक में एक–साथ न्यूनतम ग्राहक ही उपस्थित रहने दिये जाये।
5. बैंक कर्मचारी, सेवाग्राहकों एवं अन्य बैंक परिसर में उपस्थित अन्य व्यक्ति मास्क, रूमाल, गमछे से अपना मुँह ढके रहेगें तथा सैनीटाईजर का उपयोग करते रहेगें।
6. बैंक सुरक्षा गार्ड सतर्क रहकर इन नियमों का पालन करायेगा।
7. इस बात का प्रचार–प्रसार बैंक द्वारा किया जावें कि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक वैकल्पिक ऑनलाईन बैंकिंग सुविधाओं जैसे–मोबाईल बैंकिंग, इन्टरनेट बैंकिंग, एस.

P.T.O.

एम.एस. बैंकिंग, BHIM App, UPI, Paytm गूगल पे, फोन पे इत्यादि के माध्यम से लेन–देन करें व अपने पड़ोसियों, नजदीकियों व रिश्तेदारों को भी ऐसा करने हेतु प्रेरित करें।

8. ऐसे सभी अन्य उपाय इस आपातिक स्थिति में कारगर व वैधानिक हो, उन्हें किया जावें।
9. बैंकिग सेवाये ए.टी.एम.के माध्यम से लेने हेतु ग्राहकों को प्रेरित किया जाये।
10. यह निर्देश कड़ाई से जनहित में पालन किए जावें।

(प्रियंका दास)
कलेक्टर,
जिला मुरैना म.प्र.

पृ.क्रमांक / स्टेनो / ए.डी.एम. / को.वाय. / 2020 / 3823 मुरैना,दिनांक 23.03.2020

प्रतिलिपि :—

1. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला मुरैना।
4. आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना।
5. महानिरीक्षक पुलिस, चम्बल जोन, ग्वालियर।
6. उप पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल जोन, मुरैना।
7. पुलिस अधीक्षक, जिला मुरैना।
8. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल मुरैना।
9. अपर जिला दण्डाधिकारी, मुरैना।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन, मुरैना।
11. आयुक्त, नगरपालिक निगम / पी.ओ. डूडा, मुरैना।
12. लीड़ बैंक मैनेजर / समस्त शाखा प्रबंधक ...., जिला मुरैना।
13. समस्त एस.डी.एम. / एस.डी.ओ.पी. ...., जिला मुरैना।
14. जिला शिक्षा अधिकारी, मुरैना।
15. समस्त विभाग प्रमुख ...., जिला मुरैना की ओर पालनार्थ।
16. समस्त तहसीलदार / थाना प्रभारी / सी.ई.ओ. जनपद पंचायत / सीएमओ / बीईओ / बीएम.ओ. / ....की ओर पालनार्थ।
17. उप संचालक, जनसम्पर्क विभाग, मुरैना की ओर प्रचार–प्रसार हेतु।
18. ....की ओर पालनार्थ।

कलेक्टर,
जिला मुरैना म.प्र.